

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1590
सोमवार, 9 फ़रवरी , 2026/20 माघ, 1947 (शक)

ई-श्रम पोर्टल

1590. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों का ई-श्रम पोर्टल पर राज्य-वार पंजीकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या महाराष्ट्र में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण पूरा हो चुका है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परभणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त पंजीकृत कामगारों की जिला-वार संख्या कितनी है;
- (घ) क्या सरकार का पंजीकृत गिग कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) या भविष्य निधि (पीएफ) जैसे लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत प्लेटफॉर्म-आधारित रोजगार से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार का केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत गिग और डिलीवरी कामगारों के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) शुरू किया गया है, जिससे कि प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार किया जा सके। ई-श्रम पोर्टल गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों को पंजीकृत करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करता है।

ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 3 फरवरी 2026 तक की स्थिति अनुसार, 31.50 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है और परभणी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में पंजीकृत प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का जिला-वार ब्यौरा, अनुबंध-II में दिया गया है।

::2::

पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो दिनांक 21.11.2025 को लागू हुई है।

इस संहिता में जीवन और निःशक्तता आधारित कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रावधान किया गया है। इस संहिता में इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना का प्रावधान है। संहिता में गिग कामगार और प्लेटफॉर्म कामगार के कल्याणकारी प्रयोजनों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है।

**

"ई-श्रम पोर्टल" के संबंध में श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1590 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 03.02.2026 तक की स्थिति अनुसार पंजीकृत प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार का राज्यवार ब्यौरा।

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पंजीकरण संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	195
2	आंध्र प्रदेश	39,225
3	अरुणाचल प्रदेश	686
4	असम	27,601
5	बिहार	1,10,024
6	चंडीगढ़	2,671
7	छत्तीसगढ़	6,141
8	दिल्ली	49,648
9	गोवा	923
10	गुजरात	34,985
11	हरियाणा	20,426
12	हिमाचल प्रदेश	1,869
13	जम्मू और कश्मीर	3,499
14	झारखंड	15,994
15	कर्नाटक	37,990
16	केरल	11,228
17	लद्दाख	48
18	लक्षद्वीप	4
19	मध्य प्रदेश	34,895
20	महाराष्ट्र	1,35,324
21	मणिपुर	695
22	मेघालय	815
23	मिज़ोरम	147
24	नागालैंड	570
25	ओडिशा	16,855
26	पुडुचेरी	488
27	पंजाब	15,356
28	राजस्थान	38,518
29	सिक्किम	321
30	तमिलनाडु	32,098
31	तेलंगाना	30,063
32	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	137
33	त्रिपुरा	2,063
34	उत्तर प्रदेश	1,31,273
35	उत्तराखंड	6,203
36	पश्चिम बंगाल	54,942

"ई-श्रम पोर्टल" के संबंध में श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1590 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 03.02.2026 तक की स्थिति अनुसार परभणी लोकसभा क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में पंजीकृत प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का जिला-वार ब्यौरा।

क्रम संख्या	जिला	पंजीकरण संख्या
1	अहिल्यानगर	704
2	अहमदनगर	3,148
3	अकोला	2,670
4	अमरावती	2,745
5	औरंगाबाद	2,414
6	बीड	5,193
7	भंडारा	802
8	बुलढाणा	3,288
9	चंद्रपुर	2,119
10	छत्रपति संभाजीनगर	1,265
11	धाराशिव	515
12	धुले	1,188
13	गडचिरोली	839
14	गोंदिया	936
15	हिंगोली	1,242
16	जलगांव	2,755
17	जालना	1,257
18	कोल्हापुर	3,307
19	लातूर	4,880
20	मुंबई	4,864
21	मुंबई उपनगर	13,142
22	नागपुर	6,210
23	नांदेड	2,609
24	नंदुरबार	882
25	नाशिक	4,485
26	उस्मानाबाद	1,341
27	पालघर	3,674
28	परभणी	2,645
29	पुणे	15,982
30	रायगढ़	3,764
31	रत्नागिरी	2,390
32	सांगली	2,197
33	सातारा	8,697
34	सिंधुदुर्ग	866
35	सोलापुर	2,164
36	ठाणे	12,103
37	वर्धा	1,385
38	वाशिम	1,755
39	यवतमाल	2,902